Schedule XLII-High Court (J) 19 [Old

अनुमन्डल न्यायालय-असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)बनमनखी,पूर्णिया बिहार

स्वत्व वाद सं.- 51/21

सी.आई.एस सं.-51/21

युसूफ शाह एवं अन्य बनाम मुस्ताक शाह एवं

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
05 /08 /24	वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5,7 से 13 ,15,16,11A से 11D एवं 28 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है।यह वाद आदेश 22 नियम 4,9 दीवानी प्रक्रिया संहिता एवं धारा 5 मियाद विधि के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 18 जुलाई 2024 पर सुनवाई एवं आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि वादी की ओर से पूर्व में मृतक प्रतिवादी संख्या 22 के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाए जाने हेतु आवेदन दिया गया था परंतु उक्त प्रतिवादी के पुत्री की जानकारी न होने के कारण पुत्री का नाम नहीं दिया गया था, उक्त आवेदन पर न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांक 11 जून 2024 के द्वारा वादी को प्रतिवादी संख्या 22 के पुत्री को पक्षकार बनाए जाने हेतु निर्देश दिया गया था जिसके आलोक में वादी के द्वारा यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है अत : निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 22 के पुत्री को वाद में पक्षकार बनाए जाने की कृपा की जाए। उपरोक्त प्रतिवादी गढ़ की ओर से उक्त आवेदन पर मौखिक आपत्ति व्यक्त किया गया है की वादी के द्वारा जानबूझ कर विलंब से यह आवेदन दिया गया है जिस कारण से वादी का उक्त आवेदन खारिज किए जाने योग्य है| उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया अभिलेख के प्रतीत होता है कि वादी के द्वारा प्रतिवादी संख्या 22के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाए जाने हेतु आवेदन दिया गया था परंतु आवेदन में वादी के द्वारा प्रतिवादी संख्या 22 की पुत्री का नाम नहीं दिया गया था जिस कारण से न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 11 जून 2024 को वादी को निर्देश दिया गया था कि वह प्रतिवादी संख्या 22 के पुत्री को भी इस वाद में पक्षकार बनाएं | ऐसी दशा में न्याय हित में वादी के आवेदन को स्वीकृत कर प्रतिवादी संख्या 22 के पुत्री को प्रतिस्थापित किया जाने की अनुमति प्रदान की जाती है | वादी आदेश की तिथि से 14 दिन के भीतर आदेश अनुसार वाद पत्र में संशोधन करें| वाद आगामी दिनांक 04/09/24 वास्ते समन सामग्री हेतु नियत| लेखापित- असैनिक न्या.(व.को.)बनमनखी पूर्णिया ,बिहार	